न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 110/2014 निर्णय दिनांक : 21.04.2022
जी.सी.एम.एस. नं. 2014/00180

बनवारी वगै0 बनाम सुरजा वगै0

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2016 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के भूमि ख.नं. 1019, 1040, 1041, 1049 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.06.2016 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांकः– भू0अ0/1222 दिनाक 29.06.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.06.2020 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.06.2020 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:38:55 IST
Reason: Self-Attested

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

मुकदमा न0– 110/2014 निर्णय दिनांक : 21.04.2022
जी.सी.एम.एस. नं. 2014/00180

बनवारी वगै0 बनाम सुरजा वगै0

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी** ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–.. मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.06.2020 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.06.2020 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..–............निल............... मुबलिक –............निल................. दाबन.–.........................
....निल..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.................निल....
.... फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –................निल......................
का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 04 सन 2022 को जारी की गई।

21.4.22
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:38:55 IST
Reason: SelfAttested